(44)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

49

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 3153–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, तहसील नरसिंहग़ढ़ जिला राजगढ़ प्रकरण कमांक 11/अ–12/13–14.

———

शिवनारायण आ. श्री गोपीलाल
निवासी ग्राम चाठा जागीर तहसील नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़ म.प्र.
——— आवेदक

विरूद्ध

पूनमचंद आ. श्री गोपीलाल
निवासी ग्राम चाठा जागीर,
तहसील नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़ म.प्र.
——— अनावेदक

———

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री जी.एस. राठौर, अधिवक्ता, अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को पारित)

.....

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील नरसिंहग़ढ़ जिला राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13–6–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक पूनमचंद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम चाठा जागीर प.ह.नं. 06 रा. नि. मं. 1 तहसील नरसिंहगढ़ स्थित भूमि सर्वे नं. 219/1, 220/4 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए । पटवारी ने दिनांक 13–6–14 को सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामे के साथ राजस्व निरीक्षक को पेश किया जिस पर से राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक

25–6–14 द्वारा सीमांयकन प्रतिवेदन की पुष्टि की करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है । राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 27–1–15 को उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस पेश करने हेतु समय चाहा गया था, जिस पर से उन्हें लिखित बहस 7 दिवस में पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु आज दिनांक तक किसी भी पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन के संबंध में है । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की यह आपत्ति की उसे सीमांकन की सूचना दी गई थी, सही नहीं है क्योंकि नोटिस पर यह स्पष्ट तामीली रिर्पोट है कि उसने हस्ताक्षर से मना किया । सीमांकन के समय उसकी उपस्थिति की भी पुष्टि पंचनामे में होती है ।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सीमांकन के दौरान न तो field book बनाई गई न यह स्पष्ट किया गया कि सीमांकन का मूल प्रारंभिक बिंदु क्या था । स्पष्ट है कि सीमांकन के दौरान प्रकिया का पालन नहीं किया गया ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि संबंधित पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन की निर्धारित प्रकिया का पालन सुनिश्चित कराकर पुनः सीमांकन की कार्यवाही संपादित करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर